(8)

श्री सुरेश श्रीवास्तव एडवोकेट
द्वारा आज दि० 22/11/2000 को प्रस्तुत।

सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

22 NOV 2000

R-2226-III/2000

शीतला प्रसादतनय परमेश्वरदीन निवासी ग्राम- खटखरी तहसील हनुमना
जिला- रीवा (म०प्र०) ——————— निगरानी आवेदक

बनाम
===========

01. कन्हैयालाल तनय नर्मदा केशरवानी
02. मुस. बैजूकली बेवा जोखन
03. रामनाथ तनय मंगलदीन केशरवानी
04. अमौलिया बेवा बैजनाथ
05. गुलाबकली पुत्री रामकरण

सभी निवासी ग्राम- खटखरी तहसील हनुमना जिला- रीवा (म०प्र०)
———————————— गैर निगरानी अना०

C.F. Rs. 15/-

निगरानी विरुद्ध निर्णय अपर आयुक्त
महोदय रीवा संभाग रीवा प्र०क्र० 8/
अ-6/93-94 आदेश दिनांक 31.8.200

22-11-2000

मान्यवर,

प्रकरण का सूक्ष्म विवरण

01. यह कि विवादित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा माननीय न्यायालय तृतीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय रीवा जिला- रीवा (म०प्र०) के समक्ष स्वत्व घोषणा एवं विक्रय पत्र को निष्प्रभाव घोषित कराने की सहायता चाहते हुए अनावेदकगण को प्रतिवादी पक्षकार बनाते हुए व्यवहार वाद पस्तुत किया। और व्यवहारवाद प्रस्तुत करने के पश्चात व इस व्यवहार वाद के लम्बित रहते अनावेदक के - । ने अधिनस्थ न्यायालय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2226–तीन/2000 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-12-16	आवेदक के अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। अनावेदक के अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव उपस्थित । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 8/अ–6/1993–94 में पारित आदेश दिनांक 31.08.2000 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है । 3/ उभयपक्ष के अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। नामांतरण का उद्देश्य भू–अभिलेख को अद्यतन रखा है। अद्यतन न्याय दृष्टांत 1993, रा0नि0 के पृष्ठ 365 में प्रतिपादित न्याय सिद्धांतों के अनुसार एक ही विवादित भूमि का सिविल दावा भी लंबित होने के साथी ही उसी भूमि के बारे में नामांतरण की कार्यवाही चल रही हो तो नामांतरण की कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती, जब–तब कि दीवानी न्यायालय द्वारा स्थंगन आदेश नहीं जारी किया गया हो। सिविल दावा प्रचलित होने के बावजूद राजस्व न्यायालय द्वारा नामांतरण की कार्यवाही जानी चाहिये ।	

4/ इस प्रकरण में कलेक्टर, रीवा ने दिनांक 23.11.92 को यह आदेश दिये थे कि दीवानी न्यायालय के समक्ष विचाराधीन स्वत्व–घोषणा के प्रकरण के निराकरण तक नायब तहसीलदार, सर्किल खटखरी, तहसील हनुमना, अपने प्र0 क्र0 54/अ–6/91–92 में नामांतरण की कार्यवाही को स्थगित रखे। जबकि नामांतरण का उद्देश्य भू–अभिलेख को अद्यतन रखना है। किन्तु कलेक्टर, रीवा ने उक्त विधिक बिन्दु पर कतई गौर न करते हुये आदेश पारित किया है, जिसे अपर आयुक्त रीवा ने अपने आदेश में पूर्ण विवेचना कर निरस्त किया है, जो कि विधिक एवं न्यायसंगत है।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.08.2000 विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाता है। फलतः आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किया जाता है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो ।

(एस0एस0 अली)
सदस्य